15-4-22 आज पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थीगण उपस्थित आये।
प्रार्थीगण की मूल दावा पत्रावली आज
डिक्री कर निर्णीत की जा चुकी है।
ऐसी स्थिति में इस पत्रावली का
कोई औचित्य नहीं रह गया है।
अतः अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर
पर ड्रोप की जाकर पत्रावली निर्णीत
की जाती है। फैसला शीर्षक हाइकर
नम्बर से कम होकर वादक्रमीत
संलग्न मूल वाद पत्रावली रहे।
— सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:27:35 IST
Reason: SelfAttested